# <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः – 133 / 18</u> संस्थापन दिनांकः – 12 / 03 / 18

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोज</u>न

#### वि रू द्ध

- 1. सागर उर्फ भानू पिता श्याम सिसोदिया, उम्र 20 वर्ष

## <u>-: (नि र्ण य ) :-</u>

### (आज दिनांक 12.03.2018 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324 अथवा 324/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 05.03.2018 को समय करीब 01:20 बजे, स्थान थाना आमला से 01 किलोमीटर पूर्व में शरद कसार के घर के सामने कसारी मोहल्ला आमला में फरियादी विक्की को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी विक्की को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 05. 03.2018 को दोपहर 1 बजे अपने दोस्त शुभम के साथ मोटर सायिकल से सोमवारी चौक से संतोषी माता मंदिर तरफ जा रहा था। तभी शरद कसार के घर के सामने कसारी अभियुक्तगण मिले और पुरानी रंजिश पर से दोनों ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट की। बिट्टू ने मुक्का थप्पड़ से दोनों गालों पर मारा तथा भानू ने कोई लोहे का हथियार से उसके बांये कंधे के पीछे मारा। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 105/18 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त सागर उर्फ भानू से एक चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थिति

बाबत सूचना पत्र प्रेषित किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 294, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे धारा 324 अथवा 324/34 भा0दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये। मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूटा फंसाया गया है।

#### 5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी विक्की को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी विक्की को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?"

## ।। <u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार</u> ।।

- 6 विक्की (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक 05.03.2018 की दोपहर की शरद कसार के घ्हार के सामने की है। घटना के समय वह अपने दोस्त शुभम की मोटर सायिकल से सोमवारी चौक से संतोषी माता मंदिर तरफ जा रहा था। तभी शरद कसार के घर के सामने उसे अभियुक्तगण मिले और पुरानी रंजिश पर से उसे मां बहन की गंदी गंदी गाली देकर उसके साथ वाद विवाद तथा झूमा झटकी की। झूमा झटकी में गिरने से उसके बांये कंधे में चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने अभियुक्तगण की रिपोर्ट (प्रदर्श पी—1) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौके पर आकर (प्रदर्श पी—2) का मौका नक्शा बनाया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।
- 7 साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि घटना के समय अभियुक्त भानू ने

उसे कोई लोहे के हथियार से उसके बांये कंधे पर मारा था। साक्षी ने स्वतः में बताया है कि झूमा झटकी की थी और झूमा झटकी में गिरने से उसे चोट आयी थी। इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि घाटना के समय अभियुक्तगण ने उसके साथ मात्र गाली गलीच और वाद विवाद किया था एवं वाद विवाद में हुई झूमा झटकी में गिरने से उसे चोट आयी थी। साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त भानू ने उसे वाद विवाद के समय किसी लोहे जैसी वस्तु से मारा था।

- 8 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के साथ वाद विवाद किया जाना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्तगण को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी विक्की को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी विक्की को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्तगण सागर उर्फ भानू एवं अंकुश उर्फ बिट्टू को धारा 324 अथवा 324/34 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 9 प्रकरण में जप्त सुदा चाकू अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 10 अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।
- 11 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)